



प्रेस नोट

दिनांक 13.02.2026

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जलालपुर पुलिस द्वारा कुपरा रोड से धरौंधा डेरा जाने वाले मार्ग में बनी पुलिया के पास बहद ग्राम भेड़ी डांडा थाना जलालपुर जिला हमीरपुर से कैलाश पुत्र जमुना विश्वकर्मा के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 12/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

कैलाश पुत्र जमुना विश्वकर्मा (उम्र करीब 21 वर्ष) निवासी ग्राम कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमन्चा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01.उ0नि0 सत्यम प्रताप सिंह

02.उ0नि0 रमाकान्त

03.का0 कृष्णकुमार शर्मा

